(13)

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–292के / छः–सानिप्र–14 / 15(33)2013

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग **लखनऊः दिनांक 12 फरवरी, 2014**

विषयः–उत्तराखण्ड में आयी अतिवृष्टि, भूस्खलन व भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यक्तियों के संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की गाइड लाइन के अनुसार कार्यवाही ।

महोदय,

दिनांक–16 / 17 जून, 2013 को उत्तराखण्ड़ के केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग, गोविन्दघाट एवं उत्तराखण्ड के अन्य स्थानों में भागीरथी, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, गोरी एवं काली एवं सहायक नदियों द्वारा लागयी गयी भीषण जल प्रलय तथा महाविनाश में प्रदेश के मृत एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के आश्रितो / कानूनी उत्तराधिकारियों (Next of Kin) को रूपये–2,00,000.00 (रूपये दो लाख रूपये) की अनुग्रह धनराशि दिये जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा मृत एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के आश्रितो / कानूनी उत्तराधिकारियों (Next of Kin) को दी जाने वाली अनुग्रह राशि रूपये–2,00,000.00 (रूपये दो लाख रूपये) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से अनुमन्य धनराशि रू 2.00 लाख एवं भारत सरकार द्वारा एस0डी0आर0एफ0 मद से अनुमन्य धनराशि 1.50 लाख के अतिरिक्त होगी।

3. अवगत हैं कि उत्तराखण्ड शासन ने मृत एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के मृत्यु–प्रमाण उपलब्ध कराते हुये, वितरण से पूर्व भारत के महारजिस्ट्रार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की गाइड लाइन के निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण कराने के बाद

सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (Registrar General, India, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi) की गाइड लाइन के अनुसार कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या–43म0स0/छ:–सानिप्र–13/15(33)2013, दिनांक–17.12.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

4. वर्णित स्थिति में उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त आपके जनपद से सम्बन्धित उत्तराखण्ड में आयी अतिवृष्टि, भूस्खलन व भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार स्थानीय समाचार पत्र में "प्रेस विज्ञप्ति" प्रकाशित कराते हुये, प्रकाशित विज्ञप्ति की मूल प्रति शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराते हुये, उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की वारिसानों/कानूनी उत्तराधिकारियों (Next of Kin) सहित अन्तिम सूची हिन्दी व अंग्रजी में शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी, साम्प्रदाकिता, नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग को शीघ्रतम उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त

भवदीय,

(संजय प्रसाद)

सचिव,गृह